


तारीख
हुक्म

11/08/23

पत्रावली आज पेरा डी वकील जारी
 उपस्थित विवाहीगण स्थिति।
 विवाहीगण को कोई समझ में ही न
 हीन-हीन भावों दिखाई गये।
 बायपास भावों दिमाग के विवाहीगण
 नुपस्थित गत। विवाहीगण के
 विना एक तरफ कार्यवाही की
 जाती है वकील जारी के पत्रावली
 पर एक सुनी गये गलत के
 विवाह जोकर खुले न्यायालय
 सुनाना गत। गये की पालना
 लक्ष्मी जारी है पालना जग है पर
 शक्ति पत्रावली की जो पत्रावली विना
 सुना देकर शक्ति इफ्तार है।


 उपखण्ड अधिकारी, गुडामाला-ने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या: 92/2023

प्रार्थीगण :-

1. भूदराराम पुत्र टीलाराम
जाति माली निवासी मोरसीम तहसील बागोडा जिला जालौर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. प्रभुराम पुत्र नाथाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. रतनाराम पुत्र गलबाराम
3. वीरमाराम पुत्र गलबाराम
जाति माली निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--: आदेश :-

दिनांक :- 11.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भूरा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गडी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।


हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 547 रकबा 1.1736 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा

तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 547 रकबा 1.1736 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक11/08/23..... को खुले न्यायालय सुनाया

गया।


(समजाधिपति, कुलबील) नं
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

वाद/2023/ 885

प्रार्थीगण

भूदराराम

बनाम

उपखण्ड (वाड़मर)

दिनांक : 11.08.2023

विप्रार्थीगण

प्रभुराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं.....92/2023..

निर्णय दिनांक :- 11.08.2023

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 547 रकबा 1.1736 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000/-...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 11.08.2023

क्रमांक: वाद/2023/ 886-891

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा।
4. हल्का पटवारी....रतनपुरा. को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.....भूदराराम पुत्र टीलाराम
6. विप्रार्थीगण.....प्रभुराम वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी